भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3480
13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कर्मियों के पारिश्रमिक के लिए बजट आवंटन

†3480. श्री मनोज कुमारः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पूरे देश में आशा कर्मियों के पारिश्रमिक के लिए वर्ष 2019 से आवंटित किए गए, स्वीकृत किए गए, वितरित किए गए और उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा क्या है, साथ ही आशा कर्मियों द्वारा किए गए व्ययों की समयबद्ध प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से किए गए पिछले वेतन/प्रोत्साहन संशोधन या वृद्धि का ब्यौरा क्या है और ऐसे संशोधन को किए जाने में लगने वाला औसत समय कितना है;
(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि बिहार राज्य में आशा कर्मियों को सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रोत्साहन/मजदूरी मिल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा आशा कर्मियों की दीर्घकाल से चली आ रही वेतन, प्रोत्साहन और वेतन वृद्धि, निश्चित वेतन और पेंशन, बीमा और सवैतनिक अवकाश जैसी रोजगार सुरक्षा संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए उठाए गए /उठाए जा रहे कदम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आशाकर्मियों को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में परिकल्पित किया जाता है और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट कार्यकलापों को पूरा करने पर निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

आशाकर्मियों को नियमित और आवर्ती कार्यकलापों के लिए एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विविध कार्यकलापों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं। आशा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि को राष्ट्रीय प्राथमिकता और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोधों के आधार पर नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। साथ ही, समय-समय पर नई गतिविधियां भी शामिल की जाती हैं। आशाकर्मियों के लिए कोई निश्चित कार्य घंटे, निर्धारित कार्यस्थल या नियमित उपस्थिति अपेक्षाएं नहीं होती है। उनका कार्य काफी हद तक सामुदायिक आवश्यकताओं, आउटरीच और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर निर्भर करता है। इन आशा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/New-Update-2025-26/ASHA-incentive/ASHA%20Incentives.pdf

इसके अतिरिक्त, आशाकर्मियों के लिए सहयोग सहित जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उल्लिखित आवश्यकताओं के आधार पर और कुल संसाधन सीमा के भीतर, उनकी जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम के अंतर्गत निधि फ्लेक्सीपूल प्रणाली के तहत निर्गत की जाती है, जिससे राज्यों को लचीलापन मिलता है। साथ ही, समय पर निधि निर्गत करने के लिए एनएचएम के तहत एसएनए एसपीएआरएसएच निर्गत प्रणाली भी कार्यान्वित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान एनएचए के अंतर्गत आशाकर्मियों के लिए स्वीकृतियों और व्यय का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसके अलावा, बिहार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आशाकर्मियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने की छूट दी गई है। स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता के अतिरिक्त आशाकर्मियों को यथोचित मानदेय प्रदान करने का निर्णय ले सकते हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद, आशाकर्मी निगरानी किए गए निष्पादन संकेतकों के आधार पर टीम आधारित प्रोत्साहन (प्रति माह 1000 तक) के लिए अलग से पात्र हैं। आशाकर्मी गैर-मौद्रिक प्रोत्साहनों जैसे - आशा वर्दी, पहचान पत्र, सीयूजी सिम, आशा डायरी, आशा विश्राम कक्ष आदि के लिए भी पात्र हैं। सरकार ने आशाकर्मियों के योगदान की मान्यता के रूप में, कम से कम 10 वर्षों तक आशाकर्मी के रूप में कार्य करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशाकर्मियों को ₹20,000/- का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की भी मंजूरी दी है।

वर्ष 2018 में, आशाकर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए आशा लाभ पैकेज शुरू किया गया था। इस पैकेज में निम्नलिखित शामिल है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये का लाभ (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान)।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर 2.00 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता होने पर 1.00 लाख रुपये का लाभ (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान)।

इसके अलावा, आशाकर्मियों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) योजना भी उपलब्ध है, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है (प्रीमियम का 50% भारत सरकार और 50% लाभार्थियों द्वारा अंशदान किया जाता है)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित आशाकर्मियों को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपरोक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ₹5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज सभी आशाकर्मियों को भी दिया गया है।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्मियों (आशा) के लिए प्रोत्साहन संरचना को कार्यक्रम की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप नियमित रूप से समयानुसार प्रोत्साहन जोड़कर संशोधित किया गया है।

अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत आशाकर्मियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमोदन और व्यय का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		अनुमोदित	व्यय	अनुमोदित	व्यय	अनुमोदित	व्यय	अनुमोदित	व्यय	अनुमोदित	व्यय	अनुमोदित	व्यय	अनुमोदित	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	124.26	61.95	143.31	130.20	111.87	210.07	104.78	103.04	207.82	137.64	50.41	106.01	50.31	20.69
2	आंध्र प्रदेश	9878.91	10623.54	13813.72	11225.51	10017.75	9629.63	3034.93	1660.65	4695.58	2347.80	2109.34	1830.10	2312.87	819.01
3	अरुणाचल प्रदेश	1499.47	866.50	1953.18	1235.15	1673.69	1132.58	1656.10	1600.91	3257.01	1701.15	1444.15	2564.16	1508.79	726.87
4	असम	14759.64	13528.31	15723.11	9619.47	11708.03	6941.57	11748.79	11106.50	22855.29	10890.02	12632.54	11295.48	12362.25	6585.95
5	बिहार	40055.33	21303.36	32759.36	22540.24	8218.23	4644.26	38664.68	33139.23	71803.91	22146.29	36599.88	24072.72	37383.69	18342.98
6	चंडीगढ़	1.72	3.68	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	23430.48	24518.77	23868.88	24813.51	3799.09	4330.25	22054.68	23077.21	45131.89	20372.14	21521.81	20872.60	21521.81	9963.15
8	दादरा एवं नगर हवेली	162.98	101.72	205.93	104.86	182.43	93.47	104.28	104.08	208.36	75.20	169.39	83.93	99.46	41.72
9	दमन और दीव	54.26	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	दिल्ली	250.55	3.23	131.00	1.65	257.72	1.86	2747.00	2068.94	4815.94	1941.23	3458.08	2354.97	2721.56	744.46
11	गोवा	64.40	1.20	1.05	0.06	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	21286.92	19489.58	23572.12	20925.19	10354.25	8237.40	17014.70	14757.27	31771.96	24825.12	21857.50	16007.05	18180.53	7839.13

13	हरियाणा	7620.38	5789.35	7404.45	5615.51	7406.07	5087.83	6999.08	6399.52	13398.60	6787.57	12478.64	6475.80	8297.99	3231.95
14	हिमाचल प्रदेश	2926.34	3584.41	2751.86	4307.32	1587.24	6345.45	2905.97	6668.99	9574.96	7684.08	3161.84	7793.53	3227.37	255.14
15	जम्मू और कश्मीर	5636.63	3698.54	5612.73	3772.44	4765.81	4936.44	4463.00	3766.83	8229.83	4076.24	4969.42	4694.76	4922.96	2690.23
16	झारखंड	16867.60	13058.16	19366.75	14056.28	17170.41	13991.61	20223.52	16501.60	36725.12	20697.45	22766.06	22152.44	22887.34	12685.74
17	कर्नाटक	13965.29	12563.79	16780.91	11848.62	9997.55	7127.02	14114.25	10706.61	24820.86	12498.67	14003.96	11362.98	13039.18	5726.52
18	केरल	4476.81	4281.02	4902.21	8215.03	1675.38	1501.01	8780.07	7868.19	16648.26	6819.57	8256.54	8533.51	8299.31	5261.94
19	लद्दाख	0	0	217.19	175.72	380.38	182.87	358.78	342.33	701.11	342.07	362.87	336.63	362.87	201.00
20	लक्षद्वीप	28.90	12.55	48.94	22.16	40.08	19.76	32.12	27.40	59.52	23.74	87.66	95.77	89.68	23.40
21	मध्य प्रदेश	27142.93	28749.40	31286.42	30051.32	25513.94	27106.79	25995.87	23526.57	49522.44	22966.49	24457.03	23671.80	24497.61	7864.91
22	महाराष्ट्र	30960.99	26305.10	33726.30	29453.97	23022.11	19326.48	27286.40	23078.27	50364.67	22076.58	51277.99	20532.77	38536.73	18069.42
23	मणिपुर	1350.74	1042.73	1504.71	1021.26	1844.40	925.18	1596.95	1017.29	2614.24	325.13	1581.74	767.26	1402.86	274.19
24	मेघालय	2719.16	1609.31	2500.27	2209.93	3006.97	2103.33	2074.50	2013.19	4087.69	1810.69	3003.28	2600.41	3271.06	764.89
25	मिजोरम	524.07	339.82	523.15	234.17	447.21	302.25	408.56	273.32	681.88	277.57	382.18	361.59	375.24	75.87
26	नागालैंड	660.92	365.43	719.66	434.96	639.59	587.38	752.71	382.01	1134.72	486.47	911.43	900.38	979.04	290.42
27	उड़ीसा	17529.30	17732.39	20382.64	20307.07	17151.27	16637.43	18588.92	18855.24	37444.16	19782.08	18979.82	19401.24	20121.47	14304.34
28	पुदुचेरी	48.87	53.29	25.29	45.85	1.17	0.00	147.33	114.30	261.63	118.57	338.87	117.36	303.55	75.99
29	पंजाब	6736.01	6430.65	7861.63	5251.67	6530.51	3378.06	6396.10	6962.56	13358.66	6396.10	13085.41	7341.13	9753.76	2653.35
30	राजस्थान	16657.0	12524.1	18908.4	14266.9	16414.7	10390.3	16580.0	10872.3	27452.33	10360.4	6509.90	10125.4	14834.5	2733.12

		3	4	8	7	7	1	2	1		1		1	2	
31	सिक्किम	210.08	81.15	231.76	170.38	236.65	139.51	236.34	217.41	453.75	192.93	233.95	173.72	248.97	53.93
32	तमिलनाडु	764.63	764.33	3157.12	1324.53	5043.06	1692.44	1189.33	1004.85	2194.18	645.84	1208.29	1008.65	1192.97	401.49
33	तेलंगाना	8261.95	5487.42	10153.04	20799.91	10498.26	9029.61	7258.29	7423.22	14681.51	7362.46	7361.72	7361.72	7401.59	1922.85
34	त्रिपुरा	2554.76	2400.93	2795.40	2477.67	1483.65	1290.85	3224.98	2844.86	6069.84	2811.32	4541.96	3112.05	3209.88	1944.83
35	उत्तर प्रदेश	74246.19	59141.17	85741.26	58653.14	82647.44	51259.26	70868.01	51591.86	122459.87	62698.94	64320.38	56989.55	68393.66	56368.47
36	उत्तराखंड	4031.37	2908.60	2086.10	3804.39	6345.54	4115.20	5360.42	3743.46	9103.88	5779.41	5276.19	4846.08	6044.90	3325.37
37	पश्चिम बंगाल	21618.53	15799.30	21615.56	16243.07	3097.15	2463.77	21271.59	15030.66	36302.25	20341.69	25551.77	18922.29	26937.14	10532.11
